



कार्यालय
अधिकासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-1
श्रीनगर-गढवाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

पत्रांक 2372 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंख0 श्रीनगर / वनभूमि / दिनांक
सेवा में,

05 / 12 / 2018

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन विभाग
पौडी गढवाल।


विषय :- जनपद पौडी गढवाल में विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि वनभूमि हस्तानान्तरण का ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015 पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नवार है।

क्रं सं०	आपत्तियां	निराकरण
1	Revenue Forest is mentioned in online Part II whereas Reserve Forest is mentioned in component wise breakup.	योजना के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव में केवल सिविल सोयम भूमि (2.920 है0) का अधिग्रहण किया जाना है। जिसका विवरण online component wise breakup में mentioned किया गया है।
2	Muck dumping detail is not mentioned in component wise breakup at Para B 2.4 IN Part 1.	योजना के निर्माण से उत्सर्जित मलबे को समरेखण में आने वाली नाप भूमि में Dump किया जाना है। जिसका भूमि (है0) विवरण संलग्न है। तथा ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं Muck disposal हेतु वन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। (पुनः संलग्न) ck-Muck
3	DM certificate is not found uploaded. Date is not mentioned in DLC proceedings. VLC proceeding has not been found for all four Villages.	जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है (संलग्न है)। ck-DMC प्रस्ताव हेतु District level committee दिनांक 10.03.2015 को गठित की गई है जिसके Chairman श्री चन्द्र शेखर भट्ट (Depty coumissioner - cum chairman, District level commissioner) द्वारा हस्ताक्षरित है। प्रमाण पत्र संलग्न ck- DLC Village level committee की बैठक दिनांक 30.01.2015 को सम्पन्न की गई उक्त बैठक में उपस्थित ग्राम फलदवाडी एवं ग्राम कुल्याणी का आनपत्ति पत्र संलग्न एवं online upload किया गया है। ck-VLC
4	Justification for locating project in forest land in not found correct.	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.920 है0 वन भूमि की आवश्यकता होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि न पडने वाला कोई अन्य समरेखण उपलब्ध न होने के कारण। संलग्न- ck-Justification
5	Wrong document uploaded in place of MOU/agreement and non eneumbrance certificate at para L (iv)g & h. respectively.	MOU/agreement and non eneumbrance certificate online upload कर दिया गया है। (संलग्न) ck-MOU


6	Proposed road maps have been found in place of CA area at para L (iv) & (v).	उक्त बिन्दु पर CA map upload कर दिया गया है। (CA map संलग्न) ck-CA
7	Approval of road Chaplodi to kulyani is not found in Administrative approval.	चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। (पत्र संलग्न) ck- Administrative
8	Sketchy bar chart is found uploaded.	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का सही बार चार्ट तैयार कर अपलोड किया गया है। (संलग्न) ck- Bar chart
9	Many correction have been found in Tree enumeration list.	वृक्षों की गणना विवरण वन विभाग द्वारा किया गया है तथा उक्त प्रपत्र वन विभाग द्वारा सत्यापित है। ck- Tree
10	CA scheme uploaded online is not clear.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पुनः अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न) ck- CAS
11	NPV density is mentioned as 0.3 in hard copy whereas shown 0.4 in online Part 1.	NPV density हार्ड कॉपी में 0.4 लिया गया है जो वन विभाग से सत्यापित है। (संलग्न) ck- Npv
12	Following document have not been found uploaded in web portal. I. CA Scheme II. CA site suitability certificate III. Financial outlay IV. Geologist report V. Joint inspection report	1- अपलोड कर दिया गया है (File name) 2- अपलोड कर दिया गया है। 3- अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न) Geological 4- अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न) Inspection
13	In many documents, fluid corrections are made which are as follow. I- CA Scheme II- CA site suitability certificate III- NPV calculation sheet outlay IV- Site inspection report of DFO	1- CA Scheme वन विभाग द्वारा प्राप्त है तथा वन विभाग द्वारा सत्यापित है। 2- CA site suitability certificate वन विभाग द्वारा प्राप्त है तथा वन विभाग द्वारा सत्यापित है। 3- NPV calculation sheet outlay वन विभाग द्वारा प्राप्त है तथा वन विभाग द्वारा सत्यापित है। 4- Site inspection report of DFO वन विभाग द्वारा प्राप्त है तथा वन विभाग द्वारा सत्यापित है। उक्त सभी प्रपत्र अपलोड कर लिये गये हैं।
14	The following documents are required to be submitted on original. I- FRA certificate as uploaded at para K online Part 1. II- Hard copy of the digital map for area proposed for diversion and CA.	1- FRA certificate एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मैप अपलोड कर हार्ड कॉपी प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल कार्यालय को प्रेषित की गई है।



 अधिशासी अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
 श्रीनगर गढ़वाल।

पत्रांक 2372/पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० श्रीनगर/वनभूमि/तदिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।



 अधिशासी अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
 श्रीनगर गढ़वाल।